प्रति

1.माननीय मुख्यमंत्री जी
छत्तीसगढ़ शासन
2. संभाग आयुक्त
संभाग दुर्ग

विषय----: युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी, हिमांशु मिश्रा विकास खंड शिक्षा अधिकारी डौंडीलोहारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के संबंध में ।

संदर्भ------: आयुक्त महोदय दुर्ग संभाग दुर्ग का टी.एल.अंकित दिनांक 11/07/2025 (शिकायत कर्ता श्री यशवंत निषाद)

माननीय महोदय जी

उपरोक्त संदर्भित विपयान्तर्गत कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग क्रमांक/3456/स्थान.03/युक्तियुक्तकरण/138/2025--26 दिनांक 25/07/2025 ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त, शिकायत पत्र में उल्लेखित विभिन्न शालाओं के प्रधान पाठकों द्वारा प्रमाणित/सत्यापित दस्तावेज/अभिलेखों को आधार मानकर युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी करने वाले हिमांशु मिश्रा विकास खंड शिक्षा अधिकारी डौंडीलोहारा के विरुद्ध शिकायत पर जांच हेतु डाइट प्राचार्य खैरागढ़ को दिनांक 29/07/2025 शिकायत कर्ता का पक्ष सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।इस संबंध में अभी क्या कार्रवाई हुई।

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ में अब तक 9 विकास खंड शिक्षा अधिकारी व 1 जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित हों चुके हैं, तो हिमांशु मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। जबकि तमाम साक्ष्य के साथ शिकायत किया गया है फिर भी इतना विलम्ब क्यों। हिमांशु मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 का खुला उल्लघंन व मनमानी किया गया है। नियम सभी अधिकारी/कर्मचारी के लिए एक समान है।

जो अधिकारी उच्च अधिकारी व मंत्रियों तक अवैध वसूली का हिस्सा पहुंचता है उसे संरक्षण/मनमानी करने दिया जा रहा है तथा हिस्सा न देने अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो जाता है।

कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों का फेरबदल किया गया है उस सूची में इनका नाम नहीं।अनेक शिकायत व प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आऐ दिन इनके विरुद्ध समाचार प्रसारित होने के बावजूद इन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। ये कैसी विडम्बना है।

उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौर करें तो शासन/प्रशासन व सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों व शिकायत पत्र में उल्लेखित तमाम साक्ष्यों को संज्ञान/दृष्टिगत रखते हुए हिमांशु मिश्रा तत्काल कार्रवाई किया जाएं।